

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : १९ सितम्बर, २०१२

विषय: वर्ष २०११ में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पा० संख्या-३५७/दैवी आपदा/उपयोग प्रमाणपत्र (सिंचाई विभाग)/२०१२ दिनांक-१९ अगस्त, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा० संख्या-१२५६।/१-१०-२०१२-३३(६२)।/१२, दिनांक १४ मई, २०१२ द्वारा रु० २०.०० लाख तक के प्रस्तावों/परियोजनाओं के संबन्ध में अन्यों के साथ जनपद गोण्डा को स्वीकृत/मांगी गई धनराशि रु० २०,१७,०२,०००/-के सापेक्ष रु० १०,०८,५१,०००/-शा० सं०-१२५७।/१-१०-२०१२-३३(६२)।/२०१२ दिनांक १४ मई, २०१२ द्वारा २० लाख से अधिक तथा रु० एक करोड़ से अनधिक के प्रस्तावों के लिये स्वीकृत/मांगी गई धनराशि रु० १२,६६,१३,०००/-के सापेक्ष रु० ६,३३,०६,५००/-इसी प्रकार शा० सं०-१२५८।/१-१०-२०१२-३३(६२)।/२०१२, दिनांक-१४ मई, २०१२ द्वारा रु० एक करोड़ से अधिक के ०५ प्रस्तावों/ कार्यों के लिये (जनपद गोण्डा) स्वीकृत/मांगी गई धनराशि रु० ९,३९,८८,०००/- के सापेक्ष रु० ४,६९,९४,०००/-की धनराशि अवमुक्त की गई। इसके अनुक्रम में आपके उक्त पत्र दिनांक-१९ अगस्त, २०१२ में बाढ़ खण्ड गोण्डा के रु० २०.०० लाख तक के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० ०६.०९ लाख रु० २०.०० लाख से अधिक व एक करोड़ से अनधिक के ०२ कार्यों के लिये अवशेष धनराशि रु० ५६.७६ लाख, एक करोड़ से अधिक के ०२ कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रु० १५५.४९ लाख अर्थात् अवशेष धनराशि रु० २१८.३४ लाख, इसी प्रकार ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थ नगर को रु० २०.०० लाख से अधिक व एक करोड़ से अनधिक के ०५ कार्यों के लिये अवशेष धनराशि रु० १५३.७७५ लाख, एक करोड़ से अधिक के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० ११५.४० लाख अर्थात् अवशेष धनराशि रु० २६९.१७५ लाख आकंलित/इंगित की गयी है। अतः प्रकरण में सिंचाई विभाग के उक्त दोनों खण्डों के लिये वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवशेष कुल धनराशि रु० ४,८७,५१,५००/- (रुपये चार करोड़ सत्तासी लाख इक्यावन हजार पाँच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2011 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-78/पी०ए०आ००/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्हीं सार्वजनिक परिस्मृतियों के पुनः निर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है और जिनके बारे में Project Sanction की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं।

5. वर्ष 2011-12 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वर ल०)
सचिव एवं राहत आयुक्त।
२५

संख्या : /1-10-2012-33(62)/2012 टी०सी०-३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2— आयुक्त देवीपाटन मंडल गोण्डा।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व उ०प्र० शासन।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rnd.
(आर० एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।
२५